रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222398
CG-DL-E-13102020-222398
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 514]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942
No. 514]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 628(अ).—कतिपय प्रारूप नियम, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 292(अ), तारीख 11 मई, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से, जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 11 मई, 2020 को उपलब्ध करवाई गई थी ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख के छह सप्ताह से प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, प्ररूप 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 22

[नियम 47(1)(छ) देखें]

उत्सर्जन और ध्वनि मानकों के अनुपालन

के लिए

सड़क-गुणता प्रमाणपत्र

(यान के साथ ई-गाड़ी या ई-रिक्शा के मामले में विनिर्माता या आयातक या रजिस्ट्रीकृत संघ द्वारा जारी किया जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित यान मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करता है :

1. यान का मॉडल/वाणिज्यिक नाम :_________________________

2. चेचिस संख्या :_________________________

(उदाहरण :- यान पहचान संख्या (वीआईएन) या एटीआईएन या पीआईएन / ट्रेलर पहचान संख्या आदि)

3. इंजन संख्या (मोटर संख्या, बैटरी संचालित यानों के मामलों में) : __________________

4. लागू उत्सर्जन सन्नियम :_________________________

(उदाहरण :- अधिनियम के अधीन अनुमति दिए गए भारत-स्टेज-IV/VI/भारत (ट्रेम) स्टेज-III/समकक्ष, बैटरी चालित यान के लिए लागू नहीं होता का चयन करें)

5. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अनुसार प्रकार अनुमोदन परीक्षण के दौरान प्राप्त उपरोक्त यान मॉडल के शोर स्तर पर हॉर्न और पास के लिए ध्वनि स्तर, उत्सर्जन निम्नानुसार है :

i. प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. :_________________________

ii. ईंधन का प्रकार :_________________________

(उदाहरण :- पेट्रोल/डीजल/सीएनजी/एलपीजी/दोनों/बायोफ्यूल/हाइब्रिड आदि)

iii. यानों के लिए उत्सर्जन मान :

सारणी

पॉजिटिव इग्निशन या संपीडन इग्निशन इंजन यान

क्र. सं.	प्रदूषक-(यथा लागू)	इकाई (यथा-लागू)	मान (3 डेसीमल स्थान तक)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ)	मिग्रा/किमी या मिग्रा/किलो वाट आवर	
2	हाइड्रोकार्बन, (टीएचसी/एचसी)	मिग्रा/किमी या मिग्रा/किलो वाट आवर	
3	गैर-मिथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचसी)	मिग्रा/किमी या मिग्रा/किलो वाट आवर	
4	ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन (एनओएक्स)	मिग्रा/किमी या मिग्रा/किलो वाट आवर	

5क	एचसी + एनओएक्स	मिग्रा/किमी या मिग्रा/किलो वाट आवर	
5ख	टीएचसी + एनओएक्स	मिग्रा/किमी या मिग्रा/किलो वाट आवर	
6	मिथेन (सीएच4)	मिग्रा/किलो वाट आवर	
7	अमोनिया (एनएच3)	पीपीएम	
8	पार्टीक्यलेट मैटर का द्रव्यमान (पीएम)	मिग्रा/किमी या मिग्रा/किलो वाट आवर	
9	कणों की संख्या (पीएन)	मिग्रा/किमी या मिग्रा/किलो वाट आवर	

iv. ध्वनि का स्तर (यथा-लागू) :

(क) यान पर यथा-स्थापित हॉर्न (कृषि ट्रैक्टर और संनिर्माण उपकरण यानों के अलावा सभी यानों के लिए) :___________________ डीबी (ए); (डेसीबल स्थान तक)

(ख) गुजरने वाले या निकट खड़े व्यक्ति की स्थिति :____________________ डीबी (ए) ;

(ग) चालक द्वारा अनुभव किया गया या प्रचालन का श्रवण स्तर (कृषि ट्रैक्टर और संनिर्माण उपकरण यानों के लिए यथा-लागू) :____________________ डीबी (ए)

(ई-गाड़ी या ई-रिक्शा के मामले में विनिर्माता या

आयातक या रजिस्ट्रीकृत संघ के अनुलिपि हस्ताक्षर का नमूना)

टिप्पण 1: ई-गाड़ी या ई-रिक्शा के मामले में विधिवत रूप से मुद्रित मुहर के नीचे स्याही के अनुलिपि हस्ताक्षर के साथ प्ररूप में विधिवत मुद्रित करके, यथा-लागू, यह प्ररूप विनिर्माता या आयातक या रजिस्ट्रीकृत संघ के हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाएगा ।

टिप्पण 2 : कई संयोजनों के मामले में, परीक्षण रिपोर्ट में किसी एक परीक्षण परिणाम से संबंधित मान प्रदान किए जाएं । V2, V3 मामलों के लिए परीक्षण रिपोर्ट में परीक्षण के परिणाम का औसत मान प्रदान किया जाए ।

टिप्पण 3: प्ररूप 22 मुद्रित करते समय, सारणी में सुसंगत प्रदूषक जो संबंधित यानों को लागू, को ही सूचीबद्ध किया जाए।"

[सं. आरटी-11028/09/2015-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 598(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2020 को अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2020

G.S.R. 628(E). —Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 292(E) dated the 11th May, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,

Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 11th May, 2020;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2020.

2. They shall come into force six weeks from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, for Form 22, the following Form shall be substituted, namely:-

“Form 22

[See rules 47 (1)(g)]

ROAD-WORTHINESS CERTIFICATE

For

Compliance to Emission and Noise Standards

(To be issued by the Manufacturer or Importer or Registered Association in case of E-rickshaw or E-cart, along with the vehicle)

It is certified that the following vehicle complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder:

1. Model / Commercial Name of the vehicle : ____________________________

2. Chassis number : ____________________________

(Example: - Vehicle Identification Number (VIN) or ATIN or PIN / Trailer Identification Number etc)

3. Engine number (Motor number, in case of Battery-Operated Vehicles): __________

4. Applicable Emission norms : ____________________________

(Example :-Bharat Stage- IV / VI /TREM-III /Equivalent, as permitted under the act, Select NA for Battery Operated Vehicle)

5. Emission, Sound Level for Horn and Pass by noise values of the above vehicle model, obtained during Type Approval Testing as per Central Motor Vehicle Rules, 1989 are given below:

(i) Type Approval certificate No. : ____________________________

(ii) Type of Fuel : ____________________________

(Example :- Petrol / Diesel / CNG / LPG / Dual / Biofuel / Hybrid etc.)

(iii) Emission values for vehicles:

TABLE

Positive Ignition Engine or Compression Ignition Engine Vehicles

Sr. No.	Pollutant (as applicable)	Units (as applicable)	Value (up to 3 decimal places)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Carbon Monoxide (CO)	mg/ km or mg/kWh or g/kWh	
2.	Hydrocarbon, (THC/HC)	mg/ km or mg/kWh or g/kWh	
3.	Non-Methane Hydrocarbon (NMHC)	mg/ km or mg/kWh or g/kWh	
4.	Oxides of Nitrogen (NOx)	mg/ km or mg/kWh or g/kWh	
5a.	HC + NOx	mg/ km or mg/kWh or g/kWh	
5b.	THC + NOx	mg/ km or mg/kWh	
6.	Methane (CH_4)	mg/kWh	
7.	Ammonia (NH_3)	PPM	
8.	Mass of Particulate Matter (PM)	mg/ km or mg/kWh or g/kWh	
9.	Number of Particles (PN)	Numbers/km or Numbers/kWh	

(iv) Noise level (as applicable):

(a) Horn (for all vehicles other than agricultural tractors and construction equipment vehicles) as installed on the vehicle: ___________ dB(A); (upto 1 decimal place)

(b) Pass by or Bystander's position: ___________ dB(A);

(c) Driver-perceived or Operator's ear level (as applicable for agricultural tractors and construction equipment vehicles): ____________ dB(A)

(Facsimile Signature of Manufacturer or Importer
or Registered Association, in case of E-rickshaw or E-cart)

Note 1: This Form shall be issued with the signature of the manufacturer or importer or registered association, in case of E-rickshaw or E-cart duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the hand and seal, as applicable.

Note 2: In case of multiple combinations, values pertaining to any one test result in the test report to be provided. For V2, V3 cases - average value of the test result in the test report to be provided.

Note 3: While printing Form 22, the relevant pollutants in the Table as applicable for the subject vehicles may only be listed.".

[No. RT-11028/09/2015-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification G.S.R.598(E), dated 30th September, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM